न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/113

पदमा देवी राजावत पत्नी श्री शक्ति प्रताप सिंह राजावत पत्री श्री गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी मातृछाया शिप हाउस के पास पोलो प्रथम पावटा जोधपुर जिला जोधपुर जरिये मुख्तार आम – विनोद कुमार शर्मा आत्मज स्व0 मदनलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ब्रह्मपुरी बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री दिलीप सिंह गौड, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 29.09.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 01.09.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खसरा नम्बर 2314 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2315 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 2316 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 2317 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 2318 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 2319 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2320 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 2323 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 2324 रकबा 11 बिस्वा कुल 06 किता की कुल रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थित है । प्रार्थी को उक्त भूमियों के खातेदार कृषक पदमा देवी राजावत का उक्त भूमियों के सम्बन्ध में

मुख्तारआम नियुक्त किया हुआ है । प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमियों के सटवा खसरा नम्बर 2312 व 2313 स्थित है जो कि राजकीय सिवायचक भूमि है जिसमें से प्रार्थी अपने खाते की भूमियों में आता–जाता है तथा अपने कृषि यंत्र तथा ट्रेक्टर–ट्रोलियों को लाता ले जाता है । प्रार्थी की भूमियों पर आने–जाने हेतु केवल एक यही मात्र रास्ता है । भू–माफियाओं द्वारा उक्त सिवायचक भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से प्रार्थी की तार फेन्सिंग को तोडकर उक्त रास्ते को बन्द करने पर आमादा हैं । प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने–जाने हेतु राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 2312 व 2313 में से 20 गुणा 40 वर्गफीट के रास्ते की आवश्यकता है जिसे प्रार्थी राज्य सरकार से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर अपने स्वामित्व एवं अधिकार की कृषि भूमियों पर कृषि कार्य हेतु आने–जाने तथा अपने कृषि यंत्र लाने ले जाने तथा के सुगम आवागमन हेतु रास्ता लेना चाहता है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में इस आशय का आदेश पारित किया जावे कि प्रार्थी को कृषि भूमि खसरा नम्बर 2312 व 2313 राजकीय सिवायचक भूमि में से 20 गुणा 40 फीट का रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया जावे । प्रार्थी उक्त रास्ते भूमि के बदले राज्य सरकार को निर्धारित शुल्क जमा कराने को तैयार है ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01.09.2021 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.09.2021 से व्यथित होकर प्राथी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अपीलान्ट द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर रास्ता चाहा गया है । उक्त भूमि पर कुछ अतिक्रमी लोग अतिक्रमण करने पर आमादा हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.09.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा कोरोना काल की वजह से उक्त अपील समय पर पेश नहीं की जा सकी थी। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थी अपीलान्ट के स्वामित्व एवं खातेदारी की भूमि से सटवां ही खसरा नम्बर 2312 एवं 2313 सिवायचक भूमि स्थित है । उक्त भूमि से होकर प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकार की भूमि में आने –जाने हेतु रास्ता कायम करवाना चाहता है जिसके लिए वह निर्धारित राशि भी जमा करवाने को तैयार है। परीक्षण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अतः

अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.09.2021 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रार्थी अपीलान्ट को खसरा नम्बर 2312 एवं 2313 राजकीय सिवायचक भूमि से होकर रास्ता कायम किया जावे । प्रार्थी अपीलान्ट रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि की निर्धारित राशि राजकोष में जमा कराने को तैयार है ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत नवीन रास्ता तभी कायम किया जाता है जब रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा पूर्व में अन्य कोई रास्ता विद्यमान न हो । प्रस्तुत प्रकरण में नायब तहसीलदार दबलाना से रिपोर्ट प्राप्त की गई थी । उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी अपीलान्ट के खाते की भूमि पर जाने हेतु पूर्व से खसरा नम्बर 2240 गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है जो मौके पर खुलासा व चालू है । उक्त रास्ता प्रार्थी के खाते की भूमि पर आने –जाने हेतु सुगम एवं निकटवर्ती रास्ता है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.09.2021 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रार्थी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थी अपीलान्ट के स्वामित्व एवं खातेदारी की भूमि से सटवां ही खसरा नम्बर 2312 एवं 2313 सिवायचक भूमि स्थित है । उक्त भूमि से होकर प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकार की भूमि में आने –जाने हेतु रास्ता कायम करवाना चाहता है। प्रस्तुत प्रकरण में रास्ते के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार दबलाना से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। "नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थिया को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2323, 2324 पटवार मण्डल ठीकरदा में आने–जाने हेतु राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 2240 गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है जो मौके पर खुलासा व चालू है । उक्त रास्ता प्रार्थिया की खातेदारी भूमियों में आने–जाने हेतु सुगम व निकटवर्ती है । प्रार्थिया खसरा नम्बर 2312 व 2313 राजकीय सिवायचक भूमि में से रास्ता चाहती है ।" परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है कि "प्रकरण में प्रार्थिया के खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु पूर्व में ही रास्ता विद्यमान होकर चालू होने से नवीन रास्ता घोषित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता । प्रार्थिया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया जाना पाया जाता है जिससे प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है ।" धारा 251 (क) इस प्रकार से है : – अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना :– जहॉ रास्ते सम्बन्धी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जॉच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि – (i) यह आवश्यकता आत्यंतिक

आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और (ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है । प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट व परीक्षण न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है कि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा चाहा गया नवीन रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.09.2021 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा